

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 801 / 11-सी-FP/UP/Approach/143095/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 07, 2021

सेता में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
देवीपाटन वृत्त,
गोण्डा।

विषय:- जनपद-गोण्डा में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा फरेन्दा-जरवल मार्ग-1ए (नव घोषित एन०एच०-30) के किमी० सं०-218.400 से 217.600 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं०-1261 व 1262 पर स्थित ग्राम-सकरौरा नगर, तहसील-करनैलगंज, जिला-गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.017248 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/४७/२००/२०२१/एफ०सी०/३२१, दिनांक-18.08.2021, इस कार्यालय का पृष्ठांक सं०-643/11-सी-FP/UP/Approach/143095/2021, दिनांक-24.08.2021 एवं आपका पत्रांक-800/33-1, दिनांक 06.09.2021

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.09.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रेषित नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं०-02 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि की संशोधित के०एम०एल० फाइल एवं Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) एवं 13(iii) में अपलोड नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

V.Fc

भवदीय,

W

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

J. F. Gondc
019/2

पत्रांक:- 801 / 11-सी-FP/UP/Approach/143095/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री), लखनऊ मण्डलीय कार्यालय, इंडियन आयल कार्पो० लि०, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।

W

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

W

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 047 / 33-1, दिनांक, गोण्डा, सितम्बर 08 / 2021

प्रतिलिपि:-^{Acy-115} प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच, वन प्रभाग बहराइच को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रस्ताव में बिन्दु संख्या-01 से 03 तक लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रस्ताव 04 प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अप्रेषित

See

प्रशासक
कार्यालय-वन संरक्षक
देवीपाटन वृत्त, गोण्डा

वन संरक्षक
देवीपाटन वृत्त गोण्डा